भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रलाय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 771

उत्तर देने की तारीख 21.12.2017

जनजातीय समूहों के लिए पारम्परिक आवास

771. श्रीमती जया बच्चनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में आदिम जनजातियों , कृषि के आरंभ से पूर्व के समुदायों तथा वन-वासी अनुसूचितजनजातियों के लिए पारम्परिक आवास का निर्माण करके उन्हें उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों के छात्रों को पेयजल , बिजली, परिवहन और चिकित्सीय सुविधाओं सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री जसवंतसिंह भाभोर)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना" कार्यान्वित कर रहा है जो समुदाय के अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से समुदाय की संस्कृति और विरासत को बचाए रखते हुए एक समग्र रूप में उनके सामाजिक -आर्थिक विकास की आयोजना पर लक्षित है , ताकि पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में प्रत्याक्ष प्रभाव डाला जा सके। अपने वार्षिक संरक्षण सहविकास (सीसीडी) योजना में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित राज्य सरकारों को निधियां आवंटितकी जाती है , जिन पर सचिव , जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में , मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा विचार तथा अनुमोदन किया जाता है। योजना के तहत क्रियाकलाप में (क) जीविकोपार्जन , (ख) कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पीवीटीजी को रोजगार अवसर और आर्थिक विकास (ग) शिक्षा (साक्षरता , ड्रापआउट, एसएसए/आरएमएसए के साथ आवासीय विद्यालय)(घ) स्वास्थ्य , (एनएचएम आदि से आगे प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अंतर कम करना)(ड.) सुरक्षित पेय जल का प्रावधान (अंतरों को भरना जहां लाइन मंत्रालय सम्पूर्ण/सार्वभौमिक कवरेज प्रदान नहीं करते) ,(च) भूमि संवितरण , भूमि विकास, (छ) सामाजिक सुरक्षा , (ज) आवासतथा अधिवास, (झ) संपर्क (सड़क तथा दूरसंचार) , (ञ) विद्युत आपूर्ति (अंतरों को भरना जहां लाइन मंत्रालय सम्पूर्ण/सार्वभौमिक कवरेज प्रदान नहीं करते) , रख-रखाव के प्रावधान के साथ सौर ऊर्जा (ट) सिंचाई (अंतरों को भरना जहां लाइन मंत्रालय सम्पूर्ण/सार्वभौमिक कवरेज प्रदान नहीं करते) ,(ठ) शहरी विकास , (ड) संस्कृति, (ढ) पारंपरिक और जनजातीय खेलों सहित खेल (ण) पीवीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य नवीन क्रिया-कलाप शामिल है।

आवास एवं अधिवास में प्राथमिक तौर पर आईएवाई(इंदिरा आवासीय योजना)के तहत विशेष सहायता के माध्यम से तथा अतिरिक्त रूप से इस योजना के माध्यमसे अंतरों को भरने और कवरेज का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिएपीवीटीजी के लिए आवास हेतु निधियां शामिल हैं। आवासों के निर्माण के लिए योजना के तहत निधियां निर्मुक्त करते समय राज्य सरकारों को पीवीटीजी की परंपरागत वास्तुशिल्प पद्धति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। गत वर्ष 2016-17 के दौरान 927.50 लाख रुपये और 57 लाख रुपये की राशि पीवीटीजी के लिए आवास के निर्माण की योजना के तहत, क्रमश: तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को दी गई थी।
